



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत
सरकार)
**EMPLOYEES' STATE
INSURANCE CORPORATION**
(Ministry of Labour &
Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE,
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005
**PANCHDEEP BHAWAN, SARVODAYA
NAGAR, KANPUR-208005**
Phone: 0512-2217957
Email: rd-up@esic.nic.in

पत्र सं. 21-ए-24/12/1/प्र.श्रे.लि./1/2018-स्था.

दिनांक- 19-12-2024

आदेश

उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यरत प्रवर श्रेणी लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की वर्ष 2021 की संशोधित ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची इस शाखा के पत्र सं. 21-ए-24/12/1/प्र.श्रे.लि./1/2018-स्था. द्वारा जारी परिपत्र दिनांक- 28.11.2024 द्वारा इस आशय के साथ परिचालित की गई थी कि संशोधित ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता/ विवरण के संबंध में त्रुटियाँ/ आपत्तियाँ यदि कोई हों, तो संबंधित कार्मिक अपना अभ्यावेदन दिनांक- 06.12.2024 को सायं 05.00 बजे तक ई-मेल द्वारा इस शाखा को प्रेषित करें।

उपरोक्त वरिष्ठता सूची के संबंध में कार्मिकों से प्राप्त आपत्तियों/ अभ्यावेदनों का संक्षिप्त विवरण एवं उन आपत्तियों पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा लिए गए निर्णय निम्नवत हैं-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम (सर्वे श्री/श्रीमती/कु.) व पद, कर्मचारी सं. व वर्तमान तैनाती स्थान	ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची का वर्ष एवं क्र.सं.	आपत्तियाँ/ अभ्यावेदन का संक्षिप्त विवरण	अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपत्तियों एवं त्रुटियों के संदर्भ में निस्तारण
1..	पंकज कुमार सिंह, प्र.श्रे.लि., 172648, उ.क्षे.का. नोएडा	2021, 212	पत्र दि. 06.12.24 द्वारा सूचित किया गया है कि क्र.सं. 205 पर अंकित प्र.श्रे.लि. श्री अजय सिंह की नियुक्ति तिथि 29.12.17 है व श्री अजय सिंह ने IRT के माध्यम से दि. 25.10.21 को क्षे.का. कानपुर में कार्यग्रहण किया था। क्र.सं. 212 पर अंकित प्र.श्रे.लि. श्री पंकज कुमार सिंह की नियुक्ति तिथि 26.12.17 की है व श्री पंकज कुमार सिंह ने IRT के माध्यम से दि. 25.10.21 को क्षे.का. कानपुर में कार्यग्रहण किया था। क्र.सं. 205-210 पर दिए सभी कार्मिकों ने निगम में श्री पंकज कुमार सिंह के बाद कार्यग्रहण किया है तथा वरिष्ठता निर्धारित करते समय श्री पंकज कुमार सिंह से वरिष्ठ दिखाना नियमानुसार सही प्रतीत नहीं होता है व नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध भी है, जबकि वह कार्मिक भी IRT- 2021 के द्वारा ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यग्रहण किए हैं। श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा वरिष्ठता सूची की पुनः समीक्षा कर न्यायोचित निर्णय लेते हुए उनकी वरिष्ठता क्रमांक 205 या 206 पर करने का अनुरोध किया गया है।	अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों की परस्पर वरिष्ठता मुख्यालय के पत्र सं. A-33/19/1/IRT/2020-E.II दि. 20.01.2021 द्वारा जारी अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण नीति के बिंदु 5(c) के अनुसार (भर्ती का वर्ष, भर्ती का वर्ष समान होने पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तिथि, परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तिथि समान होने पर नियुक्ति तिथि, नियुक्ति तिथि समान होने पर जन्मतिथि व जन्मतिथि समान होने पर नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार) निर्धारित की गई है। अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत कार्मिकों के स्थानांतरण पूर्व तैनाती क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार क्र.सं. 205 से 210 के कार्मिकों व श्री पंकज कुमार सिंह का भर्ती का वर्ष समान है। क्र.सं. 205 से 210 के कार्मिकों के संबंध में परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि दि. 10.11.17 है तथा श्री पंकज कुमार सिंह के संबंध में परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि दि. 14.11.17 है। अतः तदनुसार मुख्यालय के पत्र सं. A-33/19/1/IRT/2020-E.II दि. 20.01.2021 द्वारा जारी अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण नीति के बिंदु 5(c) के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जोकि नियमानुसार उचित व न्यायपूर्ण है। अतः श्री पंकज कुमार सिंह, प्र.श्रे.लि. से प्राप्त आपत्ति को खारिज किया जाता है।

(अमरीश कुमार शर्मा)

अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि:

1. संबंधित कर्मचारी (नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से) ।
2. क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) महोदय, के निजी सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ ।
3. उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, नोएडा/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल, जाजमऊ, कानपुर/ बरेली/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. समस्त शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधीन समस्त शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. शाखाधिकारी, आई.टी. शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें ।
8. क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर के सभी नोटिस बोर्ड ।